निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 117/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नहनूलाल
2. राम प्रसाद

पुत्रान मूलचन्द जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम रामजीपुरा नायला, तहसील जमवारामगढ ।

प्रार्थी

बनाम

श्री ललित कुमार मीणा आर. ए. एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।

2 कालूराम
3 गुड्डू
4 सोनू

पुत्रान जगदीश नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम रामजीपुरा नायला, तहसील जमवामरागढ, ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवामरागढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 77/2024 एव टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 61/2024 ब उनवानी कालूराम बनाम नहनूलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री पी॰ सी॰ भारती अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 29.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवामरागढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 77/2024 एव टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 61/2024 ब उनवानी कालूराम बनाम नहनूलाल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्राथी। संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पी॰ सी॰ भारती ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अपने राजनैतिक प्रभाव से व अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ कर बिना किसी अधिकार के पत्रावली में स्थगन प्राप्त करने पर आमादा है । अप्रार्थीगण /वादीगण ने दिनांक 10.06.2024 को जब यह दावा पेश किया था उससे पूर्व अप्रार्थीगण/वादीगण संख्या 2 ता 4 उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में पीठासीन अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे थे तथा करीब आधा घन्टा तक वादीगण/अप्रार्थीगण एवं पीठासीन अधिकारी चैम्बर में अकेले रहे। जिससे प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी प्रतिवादीगण भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में घुस गये तब अप्रार्थीगण/वादीगण के हाथ में न्यायालय की फाईल थी जिसको दिख कर कह रहे थे कि साहब आपको तो सिर्फ इस पत्रावली में स्टे देना है । उक्त शब्द स्वयं प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने कानो से सुना व आंखों से देखा है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण को देख कर अप्रार्थी/वादीगण चैम्बर से उठ कर बाहर आ गये और उनके अधिवक्ता ने पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी से मार्क करवा कर सुनवाई के लिए पेश कर दी, किन्तु प्रार्थी/प्रतिवादी गण द्वारा पत्रावली के केवियट लगा रखी थी। जिस कारण दिनांक 10.06.2024 को तो पत्रावली में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं जारी हुआ किन्तु प्रार्थी प्रतिवादीगण को पूर्ण अन्देशा है कि उपखण्ड अधिकारी अप्राथी/वादीगण से मिला हुआ है और उपखण्ड अधिकारी राजनैतिक दबाव के चलते आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण/ वादीगण को पत्रावली में स्थगन आदेश जारी कर देगा जिससे अप्रार्थी/वादीगण एवं उपखण्ड अधिकारी मे तालमेल का प्रार्थी/प्रतिवादीगण को पूर्ण विश्वास है। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्रार्थी/प्रतिवादी का विश्वास उठ गया है, पीठासीन अधिकारी तो वही आदेश करेगें जो उन्होने बहस सुनने से पूर्व अप्रार्थी/वादीगण को कह चुके है। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)